राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ– 4(29)ग्रावि/नरेगा/भाग–2/निरी./2014–15 जयपुर, दिनांक 25 JUN 2014

समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक प्रगतिरत कार्यो (on going NREGA works) का राज्य के सभी जिलों में दिनांक 28.06.2014 को सघन निरीक्षण व पर्यवेक्षण कराने बाबत ।

संदर्भ :– निरीक्षण संबंधी विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 29.12.2009

महोदय,

राज्य स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा नरेगा योजना के 52 कार्यो का निरीक्षण करने पर मुख्यतः निम्न कमियॉ पाई गई है :–

1. मस्टररोल में दर्ज उपस्थिति की तुलना में मौके पर श्रमिकों की संख्या कम पाई गई।
2. जो श्रमिक उपस्थित थे उन्हे भी पॉच पॉच के समूह में कार्य आवंटन (task assignment) नहीं किये जाने से वे पूरा कार्य नहीं कर रहे थे और इसी कारण उन्हे निर्धारित मजदूरी से लगभग आधी ही मजदूरी मिल रही थी।
3. मौके पर चल रहे कच्चे कार्यो का न तो कोई प्लान, सेक्शन व एलीवेशन पाया गया और न ही सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा मेट को व मेट द्वारा श्रमिको को यह बताया गया कि उन्हे क्या कार्य करना है, और अन्ततः क्या बनाना है।
4. कार्यो की गुणवत्ता अपेक्षित स्तर की नहीं पाई गई।

उपरोक्त कारणो से योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष बहुत अधिक धनराशि खर्च होने पर भी स्थाई व उपयोगी परिसम्मितियो का सृजन (creation of useful durable assets) नहीं हो पा रहा है। इसके लिए सभी को यह प्रयास करना है कि न सिर्फ नरेगा योजनान्तर्गत पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराया जाए बल्कि गॉवो के लिए उपयोगी कार्य यथा अच्छे तालाब, चारागाह, खरंजे, टांके आदि विकसित किये जाए। इसके लिए वर्तमान में यह आवश्यक है कि **नरेगा कार्यो पर सभी श्रमिक प्रातः 6.00 बजे उपस्थिति हो एवं उन्हे पूरा कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए जिससे उनको पूरी मजदूरी मिले साथ ही गॉवो का विकास भी हो,** यह संदेश मेट व श्रमिक स्तर तक पहुँचाने के लिए दिनांक 28.06.2014 को पूरे राज्य में एक साथ सभी प्रगतिरत कार्यो का निरीक्षण व पर्यवेक्षण कराने का निर्णय लिया गया है।

इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य नरेगा योजना के ज़मीनी स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारी (grass root level functionaries) यथा कनिष्ठ तकनीकी सहायक, ग्रामसेवक, ग्राम रोजगार सहायक, मेट आदि तथा श्रमिको को भी निम्न बिन्दुओं के प्रति सजग करना है:–

1. सभी श्रमिक 6:00 बजे कार्यस्थल पर उपस्थित हो, कार्यस्थल पर समय पर न आने पर समझाइश की जाए, फिर भी समय पर न आने वाले श्रमिको को अनुपस्थिति दर्ज कर, लौटा दिया जाए।